सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र (Scope of Social Research)

सामाजिक शोध का अध्ययन-क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसन्धान के विषय के रूप में सामाजिक जीवन की किसी भी विशिष्ट अथवा सामान्य घटना को चुना जा सकता है। इस प्रकार का चुनाव करते समय यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल इन प्रकार की घटनाओं (Phenomena) को ही चुने जिनके सम्बन्ध में अभी तक कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। अर्थात नवीन अध्ययन-विषय तक ही सामाजिक शोध का क्षेत्र सीमित नहीं है। नवीन अध्ययन विषयों को वह शोध कार्यों के लिए चुनकर उनसे सम्बद्ध प्रक्रियाओं तथा नियमों का पता लगा सकता है, पर साथ ही, वह ऐसे विषयों तक भी अपने क्षेत्र को विस्तृत कर सकता है जिनके विषय में शोध कार्य पहले भी एक या एकाधिक बार किए गए हैं। इसका कारण यह है कि सामाजिक शोध का उद्देश्य केवल नवीन तथ्यों को खोजना ही नहीं है, अपितु पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा करना भी है।

इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं की प्रकृति व कारणों का अनुसंधान भी सामाजिक शोध के अध्ययन-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि सामाजिक समस्याएँ भी सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। कोई भी सामान्य (normal) समाज सामाजिक समस्याओं से परे नहीं है। सामाजिक शोध सामाजिक समस्याओं

को अपने अध्ययन-क्षेत्र के अन्तर्गत इस उद्देश्य से सम्मिलित नहीं करता है कि उनके उपचारों (cures) या सुधार के लिए वह उपायों (measures) को सुझाएगा अथवा सामाजिक समस्याओं को हल करने का व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करेगा उनका लक्ष्य केवल सामाजिक समस्याओं के कार्य-कारण सम्बन्धों को ढूँढ निकालना अथवा उन समस्याओं में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं, मानव व्यवहारों तथा उनके नियम के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना है।

इनके अतिरिक्त सामाजिक जीवन या घटनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्थित अध्ययन के लिए जो प्रायोगिक प्रकृति (experimental nature) के अनुसन्धान किये जाते हैं वे सामाजिक शोध के विस्तृत क्षेत्र के नवीनतम भाग के अन्तर्गत आते हैं। आधुनिक झुकाव इसी प्रकार के प्रयोगात्मक प्रकृति के अनुसंधान की ओर है। अतः यह माना जाता है कि प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों की भाँति सामाजिक विज्ञानों में भी प्रयोगात्मक अनुसंधान सम्भव है।

अमेरिकन 'सोशियोलॉजिकल सोसाइटी' ने सामाजिक शोध के क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्ययन-विषयों को सम्मिलित करने के पक्ष में अपनी राय दी है :—

(1) मानव-प्रकृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन।

(2) जनसमूह तथा सांस्कृतिक समूह का अध्ययन।

(3) परिवार की प्रकृति, अन्तर्निहित

नियम, संगठन व विघटन का अध्ययन।

(4) सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं का अध्ययन।

(5) जनसंख्या तथा प्रादेशिक समूहों का अध्ययन जिनके अन्तर्गत एक क्षेत्र विशेष में निवास करनेवाली जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में विद्यमान समुदायिक पारिस्थितियों का अध्ययन सम्मिलित है।

(6) ग्रामीण समुदायों का अध्ययन। इसके अन्तर्गत ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण पारिस्थिति, ग्रामीण व्यक्तित्व व व्यवहार-प्रतिमानों (Patterns) और उनमें अन्तर्निहित धाराओं (currents) तथा नियमों एवं ग्रामीण संगठन और संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित है।

(7) सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन। इसके अन्तर्गत समाचार-पत्र, मनोरंजन व्यवहारों का मनाना, प्रचार, पक्षपात, जनमत, चुनाव, युद्ध, क्रान्ति आदि सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन आता है।

(8) समूहों में पाये जाने वाले संघर्ष तथा व्यवस्थान (accommodation) शिक्षा का समाजशास्त्र (Educational Sociology), न्यायालय तथा अधिनियम सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक विकास का अध्ययन आता है।

(9) सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्याधिकी (Social Pathology) तथा सामाजिक अनुकूलन (Adjustment) का अध्ययन। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन आता है — निर्धनता तथा पराधीनता (dependency), अपराध, बाल अपराध, स्वास्थ्य, मानसिक व्याधि (Mental disease), स्वास्थ्य रक्षा आदि।

(10) सिद्धान्त तथा पद्धतियों में नवीन

सामाजिक नियमों की खोज, पुराने सिद्धान्त तथा विषयों की पुनः परीक्षा, सामाजिक जीवन के अन्तर्निहित सामान्य नियम व प्रक्रियाएँ तथा नवीन पद्धतियों व प्राविधियों (Techni-ques) की खोज आदि शामिल हैं।